

कार्यालय-प्रधान न्यायाधीश,परिवार न्यायालय,अमरोहा।

आदेश संख्या- 23 दिनांक 07.06.2021


आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं.1958/LXXXVII-Cpc/e-Court/ Allahabad/Dated 04.06.2021 में दिये गये निर्देशानुसार वर्तमान में कोविड-19 महामारी के बढ़ते हुए मामलो को दृष्टिगत रखते हुए जिला परिवार न्यायालय के संचालन हेतु नवीनतम दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके अनुपालन में परिवार न्यायालय, अमरोहा में अत्यावश्यक प्रार्थना पत्र, दीवानी एवं फौजदारी वाद, वादी एवं विद्वान अधिवक्ता जनपद न्यायालय अमरोहा में नोडल ऑफिसर,कम्प्यूटर द्वारा सृजित निम्नलिखित ई-मेल पर पूर्वाहन 11.00 बजे तक पीडीएफ फाईल में ही प्रार्थना पत्र /वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। ई-मेल निम्नलिखित है।


dcjyo2@gmail.Com

वादी अथवा विद्वान अधिवक्तागण नवीन दायर होने वाले दीवानी एवं फौजदारी वादों में न्याय शुल्क e-Court fees (Online)के माध्यम से जमा करेंगे। उसकी रसीद को वाद के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे एवं मुंसरिम /लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह e-Court fees (Online)की रसीद का सिस्टम ऑफिसर असिस्टेंट/आई टी सपोर्ट स्टाफ से सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक 07.06.2021


(संजय कुमार II)

प्रधान न्यायाधीश,परिवार न्यायालय,
अमरोहा।


Sanjay Kumar II
07/06/2021